



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15012

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1794 ऑफ 2026

जाकिर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

अंकित श्रीवास्तव, चौधरी दिल निसार

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति

1. सूची को संशोधित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी दिल निसार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- परीक्षितगढ़, जिला- मेरठ में मुकदमा अपराध संख्या 215 ऑफ 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 127(2), 3(5), 238, 308(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 18.07.2025 को मुखबिर का चचेरा भाई आस मोहम्मद उर्फ आशु, अब्दुल कय्यूम के पुत्र मोहसीन के साथ टाइल्स का काम करने गया था। तत्पश्चात, दिनांक 19.07.2025 को उक्त मोहसीन वापस आ गया, लेकिन मुखबिर के चचेरे भाई का कोई पता नहीं चला। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसे विश्वास था कि आवेदक और पांच अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त अपराध किया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग दो दिनों का विलंब है और उक्त कारित विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि जिस तिथि को उक्त मोहसीन गांव वापस आया था, उस तिथि से भी यह एक दिन विलंबित है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का नाम पुलिस के समक्ष उसके स्वयं के इकबालिया बयान में आया है, जिसका कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मूल्य नहीं है। आवेदक को केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। उस पर मोटरसाइकिल की झूठी बरामदगी थोपी गई है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मोहसीन का बयान यह संकेत देता है कि वह मृतक व्यक्ति की मृत्यु की पूर्ण परिस्थितियों को जानता था, लेकिन उसने मुखबिर को उक्त अपराध के बारे में सूचित करने की परवाह नहीं की और स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मुखबिर ने दिनांक 19.07.2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी और उसमें किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया था। अतः, आवेदक का नामांकन बाद का विचार (afterthought) है।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 22.07.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
10. "जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक निर्दोष होने की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।
11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है, जब तक कि दोष संदेह से परे स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं छीना जा सकता जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51 में दोहराया गया है।

12. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के इस सुस्थापित सिद्धांत को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि दंड के रूप में जमानत को नहीं रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को मान्यता देनी चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी किसी भी असाधारण परिस्थिति को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का वारंट करती हो।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को केवल संदेह के आधार पर मामले में नामित किया गया है और गुमशुदगी की रिपोर्ट में भी आवेदक के नाम का उल्लेख नहीं है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत के लिए आधार बनाने में सफल रहा है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- जाकिर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।